रेलवे में कुछ वस्तुओं के लाने-ले जाने के भाड़े की कम दरें

845. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने देश के विभिन्न भाड़े में कुछ वस्तुओं के लाने-ले जाने के भाड़े की कम दरें निर्धारित की हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कौन-कौन सी वस्तुयें हैं ; और

(ग) इस प्रकार निर्धारित भाड़े की कम दरों का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी

कच्चे लोहे का उत्पादन

846. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले पांच वर्षों में राज्यवार, कच्चे लोहे का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) कच्चे लोहे का कितना निर्यात किया गया तथा देश में कितनी खपत हुई ; और

(ग) उससे कितना धन प्राप्त हुआ ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) पिछले पांच वर्षों में देश में राज्यवार विक्रय कच्चे लोहे के उत्पादन का विवरण इस प्रकार है :—

(हजार टन)

क्रम संख्या	राज्य	1962-63	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67 (दिसम्बर 66 तक)
1	बिहार	14	6	23	18	3
2	पश्चिमी बंगाल	630	621	593	554	316
3	उड़ीसा	109	121	112	93	71
4	मध्य प्रदेश	341	407	349	509	378
5	महाराष्ट्र	4	9	9	2	—
	जोड़	1098	1164	1086	1176	768

(ख) पिछले पांच वर्षों में कच्चे लोहे का निर्यात तथा देश में खपत की मात्रा का विवरण इस प्रकार है :—

(मात्रा मीटरी टन)

1962-63		1963-64		1964-65		1965-66		1966-67 (दिसम्बर 66 तक)	
								(यह आंकड़े कच्चे हैं)	
निर्यात	खपत	निर्यात	खपत	निर्यात	खपत	निर्यात	खपत	निर्यात	खपत
19316	1086758	—	1123574	—	1097320	37	1107605	80364	768394

(ग) संभवतः आदरणीय सदस्य कच्चे लोहे के निर्यात से प्राप्त धन राशियां जानना चाहते हैं वह इस प्रकार है:—

(हजार रुपये)

1962-63	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67 (दिसम्बर 66 तक)
4880	—	—	20	19876

रेलवे स्टेशनों पर खोमचों के ठेके

847. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान नियमों के अन्तर्गत रेलवे स्टेशनों पर खाद्य पदार्थ बेचने के खोमचों के ठेके, जहां तक संभव हो, खोमचों वालों की पंजीकृत सहकारी समितियों, अनुसूचित जातियों की पंजीकृत सहकारी समितियों या अनुसूचित जातियों के किसी व्यक्ति को दिये जाते हैं और यदि उनमें से किसी ने भी ठेके के लिये आवेदन न किया हो तो इस काम का अनुभव रखने वाले किन्हीं स्थानीय व्यक्तियों को ठेका दिया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो कहां तक इन नियमों का पालन किया जा रहा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दुदवा रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर खोमचे का ठेका एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जो उपरोक्त किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) वर्तमान आदेशों के अधीन, बेंडिंग ठेके स्थानीय व्यक्तियों को दिये जाते हैं, जब तक कि किसी मामले विशेष में उपयुक्त स्थानीय व्यक्ति अनुपलब्ध न हों। आधी यूनिट (जिसमें 5 या उससे कम वेंडर रखे जाते हैं) तक के बेंडिंग ठेके देने के सम्बन्ध में नीति यह है कि यदि स्टेशन पर कोई वेंडर्स सहकारी समिति, जिससे कि सन्तोषजनक सेवा प्रदान करने की आशा की जाती है, उपलब्ध है तो आवेदन-पत्र मंगाये बिना, ठेका उसे देना होता है । आधे से अधिक यूनिट मूल्य के बेंडिंग ठेके सहकारी समिति और अन्य आवेदनकर्ताओं की तुलनात्मक उपयुक्तता के आधार पर दिये जाते हैं। अन्य बातें समान या लगभग समान होने पर आवेदन करने वाली सहकारी समिति को तरजीह दी जाती है। यदि सहकारी समिति अनुसूचित जातियों या जन-जातियों के वेंडरों की हो तो भी स्थिति यही रहती है।

अनुसूचित जातियों/जन-जातियों के सदस्यों द्वारा बेंडिंग ठेके के लिए आवेदन किये जाने पर, आधी यूनिट तक के ठेके देने में उन्हें तरजीह दी जाती है, बशर्ते वे उस काम के लिए उपयुक्त पाये जायें।

आधी यूनिट से अधिक मूल्य के ठेकों के संबन्ध में, अनुसूचित जातियों जन-जातियों के सदस्यों को केवल तभी तरजीह दी जाती है, जब इस तरह की स्थापनाओं के सन्तोषजनक प्रबन्ध के मामले में वे अन्य आवेदनकर्ताओं के बराबर पाये जायें।

(ख) रेलें इन हिदायतों का पालन करते हुए बेंडिंग ठेके देती है।

(ग) और (घ). दुदवा स्टेशन द्वारा सेवित क्षेत्र के किसी अनुसूचित जाति/जन-जाति के उम्मीदवार या सहकारी समिति द्वारा ठेके के लिए आवेदन नहीं किया गया था, इसलिए ऐसे उम्मीदवारों/ऐसी सहकारी समिति को ठेका देने का सवाल नहीं उठा और ठेका उसी क्षेत्र के एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया, जिसे सर्वाधिक उपयुक्त समझा गया।